रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2004/श्रावण 20, 1926

No. 342] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2004/SRAVANA 20, 1926

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 516(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के आदेश संख्या सा.का.नि. 71(अ) तारीख 28 जनवरी, 1986 को तुरन्त प्रभाव से विखण्डित करती है :

परन्तु ऐसा विखण्डन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :—

(क) उक्त आदेश का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या हुई कोई बात;

(ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उद्भूत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व;

(ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(घ) यथा पूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या कोई उपचार;

और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, जारी या प्रवृत्त की जा सकेगी और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो ऐसा आदेश विखण्डित न हुआ हो।

[फा. सं. 20-30/2003-पीपी. I]

आशीष बहुगुणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 11th August, 2004

G.S.R. 516(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation Order number G.S.R. 71(E), dated the 28th January, 1986 with immediate effect :

Provided that such rescission shall not affect :—

(a) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered thereunder;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued, or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order has not been rescinded.

[F. No. 20-30/2003-PP.I]

ASHISH BAHUGUNA, Jt. Secy.

2461 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.